न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
68 / 2021	दावा 88, 91 RTA	03.09.2021	21.08.2025

राधाकृष्ण पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू

—वादी—

<u>बनाम</u>

1. महेन्द्र पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय चूरू

—प्रतिवादीगण—

3. स्टेट बैक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर कलेक्ट्रेट शाखा चूरू वर्तमान में स्टेट बैक आफॅ इन्डिया कलेक्ट्रेट शाखा चूरू जरिए प्रबन्धक
4. स्टेट बैक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर चूरू वर्तमान में स्टेट बैक आफॅ इन्डिया शाखा चूरू जरिए प्रबन्धक—

—गौण प्रतिवादीगण—

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री विनोद दनेवा वादी
2. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा प्रतिवादी
3. अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा गौण प्रतिवादी

यह कि वादी की ओर से वाद निम्न प्रकार प्रस्तुत है—

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं1 सगे भाई है गौण प्रतिवादीगण सं. 3व 4 के यहां वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की कृर्षि भूमियां रहन् है।
2. यह कि पुराना खसरा नं. 309 तादादी 8.4480 है. (33 बिघा 8 विश्वा) रोही मौजा खासोली तहसील व जिला चूरू में स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के कब्जा काश्त एवं सॅयुक्त खातेदारी का ब हिस्सा बराबर रहा उक्त कृर्षि भूमि के मुताबिक बाहमी बंटवारा के पूर्वी हिस्सा वादी के हक हिस्सा में व पश्चिमी हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्सा में आया जिसका राजस्व रिकार्ड में जब विधिवत खाता विभाजन करवाया गया उस समय दो खसरे नं. बनाते हुए ख.नं. 1084 / 309 वादी के नाम से ख.नं. 1083 / 309 वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाता में बराबर बराबर 4.2240—4.2240 है. भूमि अंमित कर दी गई तथा खाता अनुसार जमाबन्दी में भी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम बराबर बराबर 4.2240—4.2240 है. भूमि जर्द कर दी गई मगर इसी दौरान जो नक्शा एक्ट तैयार किया गया वोह वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्से में आई बराबर बराबर भूमि का न बना कर वादी की भूमि का छोटा व प्रतिवादी सं. 1 की भूमि का बड़ा नक्शा एक्स बना दिया गया जो राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की गतली व लापरवाही रही है तथा खाता विभाजन के ओदश के वितरित है।
3. यह कि खाता विभाजन के बाद कृर्षि भूमियां ख.नं. 1083 / 309 का बड़ा व हक हिस्सा में आई भूमि से अधिक भूमि का नक्शा एक्स बन जाने से प्रतिवादी सं. 1 के मन में बेईमानी आ गई है गलत नक्शा एक्स के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 वादी व प्रतिवादी सं. 1 के बीच बनी सींव को कटाने की चेष्टा में सीव को कभी भी काट कर [illegible] नक्सा एक्स के आधार पर वादी की भूमि को अपनी भूमि में मिला सकता है, गलत न[illegible] एक्स [illegible] जाने से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के बीच विवा पैदा हो गया जो कभी [illegible] इसलिए वादी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वोह खाता [illegible] के विरूद्ध हक हि[illegible] वितरीत गलत बने नक्शा एक्स को दुरूस्त करवाये इस हेतु य[illegible] दावा पेश किया जा रह[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:46 IST
Reason: SelfAttested

46

4. यह कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को कई बार कहा व दूसरे से भी कहलवाया कि वेह वादी के साथ चल कर खं. नं. 1084/309 रोही मौजा खासोली तहसील चूरू के गलत बने नक्शा एक्स को दुरूस्त करवये पहले तो प्रतिवादी सं. हा हू करता रहा मगर आखिर में दिनांक 05.08.2021 को ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गया वादी वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1084/309 का खातेदार काबिज काश्तकार होने से इस वाद के प्रति प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा दिनांक 05.08.2021 को की गई स्पष्ट इन्कारी की तिथि से इस दावा के प्रति वादी को कारण प्राप्त है।

5. यह कि वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं. 2 के पावर व पजेसन में है दावा यदी स्वीकार होने की सूरत में मुताबिक ओदश व डिक्री के सारी कार्यवाही प्रतिवादी सं.2 के द्वारा की जानी है इसलिए प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध काई नुकसान प्रद अनुतोष नही चाहा गया है इसलिए प्रतिवादी सं. 2 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिए बिना यह दावा पेश किया जा रहा है गौण प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के यहा वादी एवं प्रतिवादी सं. की कृषि भूमीया रहन है इस लिए उन्हे गौण प्रतिवादीगण पक्षकार वाद बनाया गया है।

6. यह कि वादगत कृषि भूमि श्रीमानजी के अधिकर क्षेत्र में स्थित है इसलिए इस दावा के प्रति श्रीमानजी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है दावा वादी उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है

अतः दावा वादी पेश कर अर्ज है कि दावा वादी सीकार फरमाया जा कर दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे--

(क) कृषि भूमि ख.नं. 1084/309 तादादी 4.2240 है. रोही मौजा खासोली तहसील व जिला चूरू का मुताबिक तादादी 4.2240 है. के नक्शा एक्स बनया जावे तथा उक्त रकबा से छोटा बनाए गये राजस्व रिकार्ड नक्सा एक्स को दुरूस्त किया जावे कृषि भूमि ख.नं. 1083/309 तादादी 4.2240 है. रोही मौजा खासोली तहसील व जिला चूरू का मुताबिक तादादी 4.2240 है. के नक्शा एक्स बनया जावे तथा उक्त रकबा से बड़ा बनाए गये राजस्व रिकार्ड नक्शा एक्स को दुरूस्त किया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण कोजरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की ओर से श्री सुरेश आर्य ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को बार--बार अवसर दिये जाने के बावजूद इनकी ओर जवाब नहीं दिये जाने से प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाबदावा मय इकबाल दावा निम्न प्रकार है--

1. यह कि दावा की मद सं. 1 जिस तरहे से लिखी गई है स्वीकार की जाती है।
2. यह किमद सं. 2 अर्जीदावा जिस प्रकार से लिखा गया है जिसमें लिखे तथ्य सही दर्ज करवये गये है खसरा नं. व तादादी सही दर्ज होने के कारण व बराबर का हिस्सा होने के कारण दावा की मद सं. 2 सही दर्ज करवाई जाने के कारण मुझ प्रतिवादी द्वारा स्वीकार की जाती है।
3. यह कि मद सं. 3 अर्जीदावा जिस प्रकार से लिखी गई है क्यास के आधार पर दर्ज करवाई गई है। इसलिए उक्त मद में लिखे गये तथ्य सही होने के कारण मुझ प्रतिवादी सं.1 द्वारा स्वीकार किये जाते है
4. यह कि मद सं. 4 दावा जिस प्रकार से अंकित की गई है सीकार की जाती है मेरे द्वारा खाता विभाजन के लिए पूर्व में भी तैयार था ओर आज भी तैयार हूं मेरे द्वारा कभी भी वादी को नक्शा एक्स दुरूस्त करवाने के लिए मना नही किया है।
5. यह कि मद सं. 5 अर्जीदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है कानूनी होने के कारण जबाब की आवश्यकता नही है।
6. यह कि मद सं. 6 अर्जीदावा कानूनी होने से जबाब की आवश्यकता नही है।
7. यह कि अर्जीदावा के अनुतोष जिस प्रकार से अ... गया है सही दर्ज होने के कारण से स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रतिवादी सं. 1 की ओर से ... वादी का दावा मुताबिक अनुतोष के स्वीकार किया जाता ... जाता है तो मुझ प्रतिवादी सं2 को काई आपति नही है वादी का दावा डिक्री करने में मेरे काई ...पति नही है। व मुझे खर्चा से दायित्वमुक्त रखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:46 IST
Reason: SelfAttested

AG.

रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रस्तुत नक्शा और मौका नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया जिसके अन्तर्गत वादी द्वारा प्रस्तुत अनुतोष सही पाया गया। प्रस्तुत विभाजन नक्शा व मौका नक्शा में भिन्नता पाई गई है जो कि संशोधन के काबिल है। मौके पर नक्शा नजरी तहरीर किया जाकर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर पेश है।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई हैं तथा उनके बीच स्थित कृषि भूमि (पुराना खसरा संख्या 309, कुल रकबा 8.4480 हैक्टेयर, जो अब खसरा संख्या 1083/309 व 1084/309 में विभक्त है) का बाहमी बंटवारा बराबर–बराबर हुआ था। खाता विभाजन भी उसी अनुसार किया गया और जमाबंदी में दोनों भाइयों के नाम पर 4.2240–4.2240 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। खाता विभाजन के पश्चात जब नक्शा (नक्शा–एक्स) तैयार किया गया, तो उसमें त्रुटिपूर्वक वादी की भूमि का छोटा भाग एवं प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि का बड़ा भाग दर्शा दिया गया, जो कि भूमि के बराबर विभाजन और राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत है। वादी ने इसे राजस्व अधिकारियों की गलती और लापरवाही बताया है। वादी का विवाद इस बात को लेकर है कि खाता विभाजन के बाद जो "नक्शा एक्स" तैयार किया गया, वह भौतिक रूप से असमान रूप में तैयार हो गया। वादी के हिस्से की भूमि का नक्शा वास्तविक रकबे से छोटा, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का नक्शा अधिक दिखाया गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाल दावा पेश करते हुए वादी के दावे के सभी तथ्यों को स्वीकार किया है, तथा कहा है कि वह नक्शा एक्स के दुरुस्तीकरण हेतु सहमत है, उसे वादी द्वारा किए गए इस दावे व नक्शा दुरुस्तीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है।

राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी सं. 2 के अधीन होने के कारण वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया है, परंतु वादी ने उनके विरुद्ध कोई क्षतिपूर्ति या अन्य राहत नहीं चाही है, इसलिए धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस आवश्यक नहीं है व गौण प्रतिवादीगण संख्या 3 एवं 4 (एसबीआई) वादी एवं प्रतिवादी की भूमि पर ऋण इत्यादि के कारण पक्षकार बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा उन्हें कई अवसर देने के बावजूद कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, अतः उनका उत्तर बंद किया गया। मौके की जांच के लिए नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी को निर्देशित किया गया, जिन्होंने प्रस्तुत नक्शे तथा मौके के नक्शे का अवलोकन कर यह पुष्टि की कि वादी का कथन सही है। विभाजन नक्शा तथा मौका नक्शा में भिन्नता पाई गई जो कि संशोधन योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा अवसर की स्थिति से मेल खाता है। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कोई वास्तविक विवाद शेष नहीं है, तथा दोनों पक्ष खाता विभाजन को लेकर सहमत हैं, अतः स्थायी निषेधाज्ञा की आवश्यकता नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

निर्णय

वादी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1084/309 मौजा खासोली तहसील चूरू, कुल रकबा 4.2240 हेक्टेयर के राजस्व नक्शा (ex) को मौके पर वादी के वास्तविक कब्जा–कास्त के अनुसार पटवारी खासोली की ओर से प्रस्तुत नक्शा दिनांक 06.10.2021 के अनुसार तरमीम कर दुरुस्त किया जावे एवं भविष्य में इस नक्शा को निर्णय का भाग माना जावे। नक्शा की शुद्धि करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी अन्य खातेदार की भूमि प्रभावित न हो। क्षेत्रफल व भू–स्वामित्व में कोई बदलाव न किया जाए। राजस्व रिकॉर्ड में रहनबंदी आदि यथावत बनी रहे। तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में नक्शा तरमीम दुरुस्ती की जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:46 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री बिजेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
68 / 2021	दावा 88, 91 RTA	03.09.2021	21.08.2025

राधाकृष्ण पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय चूरू

–प्रतिवादीगण–

3. स्टेट बैक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर कलेक्ट्रेट शाखा चूरू वर्तमान में स्टेट बैक आफॅ इन्डिया कलेक्ट्रेट शाखा चूरू जरिए प्रबन्धक
4. स्टेट बैक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर चूरू वर्तमान में स्टेट बैक आफॅ इन्डिया शाखा चूरू जरिए प्रबन्धक–

–गौण प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 68 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री विनोद दनेवा एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा प्रतिवादी व सुरेश शर्मा गौणप्रतिवादी संख्या मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1084 / 309 मौजा खासोली तहसील चूरू, कुल रकबा 4.2240 हेक्टेयर के राजस्व नक्शा (ex) को मौके पर वादी के वास्तविक कब्जा–कास्त के अनुसार पटवारी खासोली की ओर से प्रस्तुत नक्शा दिनांक 06.10.2021 के अनुसार तरमीम कर दुरुस्त किया जावे एवं भविष्य में इस नक्शा को निर्णय का भाग माना जावे। नक्शा की शुद्धि करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी अन्य खातेदार की भूमि प्रभावित न हो। क्षेत्रफल व भू–स्वामित्व में कोई बदलाव न किया जाए। राजस्व रिकॉर्ड में रहनबंदी आदि यथावत बनी रहे। तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में नक्शा तरमीम दुरुस्ती की जावे।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21 माह अगस्त सन् 2025 को जारी की गई।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:46 IST
Reason: SelfAttested